



F- 07-08  
F- 07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूर - 560 037  
MARATHAHALLI COLONY P.O  
BENGALURU - 560 037

**वर्ग अनुमोदन सं.: 249 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 249**

**विषय /Sub : प्रेस टू टेस्ट वार्निंग लैंप होल्डर (लेस बल्ब टाइप 327).**  
**Press to Test Warning Lamp Holder (Less Bulb Type 327)**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स इंटीग्रल सिस्टम्स एंड कम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सं. 45/46 गुब्बन्ना इंडस्ट्रीयल इस्टेट, 6 ब्लॉक, राजाजीनगर, बेंगलूर - 560 058 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " प्रेस टू टेस्ट वार्निंग लैंप होल्डर (लेस बल्ब टाइप 327)" पार्ट सं.: i) आईई-39100-6 (लाल), ii) आईई -39100-7 (हरा) और iii) आईई-39100-8 (अंबर) को संदर्भ सं.: एरो (आरडी-125)/140/20, दिनांक 23 मई 1978, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 249 जारी किया गया था। तदुपरान्त यह सन्दर्भ सं.: सेमिलैक/ 5070/ टीए - 249 -10आर, दिनांक 28 फरवरी 2013 जिसकी वैधता 31 दिसम्बर 2017 तक थी।

*This is to state that the "Press to Test Warning Lamp Holder (Less Bulb Type 327)", Part Nos.: i) IE-39100-6 (Red), ii) IE-39100-7 (Green), and iii) IE-39100-8 (Amber) designed, developed and manufactured by M/s Integral Systems and Components Private Limited, No. No. 45/46 Gubbanna Industrial Estate, 6<sup>th</sup> Block, Rajaji Nagar, Bangalore - 560 010 was issued with Type Approval No.: 249 vide Reference No: AERO (RD -125)/140/20, dated: 23<sup>rd</sup> May 1978. This was subsequently renewed vide Reference No: CEMILAC/5070/TA-249 -10R, dated: 28<sup>th</sup> February 2013 and with its validity up to 31<sup>st</sup> December 2017.*



2. आरसीएमए (हेलिकॉप्टर) के पत्र सं: आरसीएमए (हेलिकॉप्टर)/1468, दिनांक 11 दिसम्बर 2018 के द्वारा नवीकरण एवं संशोधन के लिए अनुरोध पर, निम्नलिखित संशोधन वर्ग अनुमोदन संख्याओं 201, 249, 266 एवं 1398 के विषय तथा इसके परिशिष्ट 'ए' में लागू होता है:

*Based on request for renewal cum amendment from RCMA (Helicopter) vide their letter Ref. No.: RCMA (H/C) / 1468, dated: 11<sup>th</sup> December 2018, The following Amendment is effected in the subject Type Approval Nos. 201, 249, 266 & 1398 and its Appendix 'A':*

<i>Wherever / For</i>	<i>Read as</i>
<i>M/s Integral Systems &amp; Components Pvt. Ltd. No. 45/46 Gubbanna Industrial Estate, 6<sup>th</sup> Block, Rajajinagar, Bangalore – 560 010</i>	<i>M/s Integral Systems &amp; Components Pvt. Ltd. No.: D-388/1, 1<sup>st</sup> Cross, 1<sup>st</sup> Stage Peenya Industrial Estate, Bangalore – 560 058</i>

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर), डीआरडीओ, सेमिलैक, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), DRDO, CEMILAC, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Helicopter Division, Bengaluru – 560 017, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

4. संदर्भ सं. एरो (आरडी-125)/140/20, दिनांक 23 मई 1978 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: AERO (RD-125)/140/20, dated: 23<sup>rd</sup> May 1978 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.*

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

*All other conditions stipulated in the initial type approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No.:सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-249 /11R

दिनांक/ Date : 12 January 2019

फैक्ससं./ Fax No.: 080-2523 0856

*My*  
09<sup>th</sup> Jan 19

*HR.*

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)